



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229580
CG-DL-E-13092021-229580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3396]
No. 3396]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021
सं. 25 / 2015—2020

विषय : दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20 / 2015—20 के क्रम में आयात की अंतिम तिथि पर स्पष्टीकरण।

का.आ. 3708(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20 / 2015—20 के पैरा 3 के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती है:—

दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20 के पैरा 3 में यथा उल्लिखित आयात की अंतिम तिथि 31.10.2021 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा 'शिपमेंट की अंतिम तिथि अथवा लदान के बिल की तिथि (अनुमत समुद्री पत्तनों के मामले में) अथवा लॉरी रसीद की तिथि (एलसीएस पैट्रॉपोल के मामले में)' दिनांक 31.10.2021 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी। इसके अलावा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को या इससे पहले जारी किए गए लदान बिल/लॉरी रसीद के साथ इन मदों की आयात खेप को दिनांक 31 जनवरी, 2022 के बाद सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

अधिसूचना का प्रभाव : दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20 / 2015—20 के तहत आयातों हेतु शिपमेंट की अंतिम तिथि अथवा लदान बिल के जारी होने की तिथि अथवा लॉरी रसीद की तिथि 31.10.2021 है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को या इससे पहले जारी किए गए लदान बिल/लॉरी रसीद के साथ इन मदों की आयात खेप को दिनांक 31 जनवरी, 2022 के बाद सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2(क)/पार्ट-VIII/ई-29098]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2021

No. 25 /2015-2020

Subject : Clarification on last date of import in continuation of Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021.

S.O. 3708(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992 and paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the provision in Para 3 of Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021 as under:-

The last date of import, 31.10.2021, as mentioned in Para 3 of Notification number 20 dated 24.8.2021, is amended to read as " Last date of shipment or Bill of Lading date (in case of permitted seaports) or Lorry Receipt date (in case of LCS Petrapole)" shall be 31.10.2021 or until further orders, whichever is earlier. Further, import consignments of these items with Bill of Lading/Lorry Receipt issued on or before 31st October, 2021 shall not be allowed by Customs beyond 31st January 2022.

Effect of the Notification: For imports under Notification 20/2015-20 dated 24.08.2021, the last date of shipment or date of issuance of the Bill of Lading or Lorry Receipt date is 31.10.2021. Import consignments of these items with Bill of Lading/Lorry Receipt issued on or before 31st October, 2021 shall not be allowed by Customs beyond 31st January 2022.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/Part-VIII/E-29098]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.